<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)</u>
<u>पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 8/2015

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री सत्यनारायण उम्र 30 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी पाडलिया पोस्ट बोहत तहसील मॉगरोल **(मालिक एवं विक्रेता)** मैसर्स श्री नारायण दूध डेयरी, कॉलेज रोड बारॉ जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011</u>

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (अप्राथी)

<u>निर्णय दिनांक 18.12.2018</u>

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 3.2.2015 को 2.15 पी.एम. पर मैसर्स श्री नारायण दूध डेयरी, कॉलेज रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सत्यनारायण उम्र 30 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी पाडलिया विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 3.2.2015 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26. 10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ 20 लीटर गाय का दूध स्टील की टंकी मे विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त गाय के दूध मे मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त गाय के दूध मे से 2 लीटर हिलामिलाकर एक समरूप करके वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 100/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर गाय के दूध को को चार भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–411 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 411 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/144 दिनांक 4.5.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एफएसएसएल/कोटा/2015/276 दिनांक 20.2.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, गाय का दूध अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया।

उक्त केस मे श्री सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर (विक्रेता व मालिक) श्री नारायण दूध डेयरी, कॉलेज रोड बारॉ जिला बारॉ ने (Sub Standard) गाय के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत श्री सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर (विक्रेता व मालिक) श्री नारायण दूध डेयरी, कॉलेज रोड बारॉ से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी स्वंय उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी ने बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थी द्वारा जिस दूध का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे (Sub Standard) पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने कहा कि वह दूध किसी अन्य व्यक्तियों से खरीद कर विक्रय करता था। जिसमे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है ओर वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे गये दूध के बाद मेरे द्वारा डेयरी भी समाप्त कर दी गई है। वर्तमान मे कृषि उपज मण्डी मे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूॅ। मैं गरीब व्यक्ति हूॅ मुझे अपराध से क्षमा प्रदान की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, गाय का दूध जॉच मे (Sub Standard) पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थी द्वारा अपना अपराध कबूल करने व भविष्य मे ऐसी कार्यवाही पुनः न करने हेतु निवेदन करने से अप्रार्थी के पक्ष मे नरमी का रूख अपनाते हुये 5000/— अक्षरे पॉच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)